

## आर-एपीडीआरपी

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, ने जुलाई 2008 को पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) की शुरुआत बेस लाइन डेटा ,जवाबदेही का निर्धारण, उप पारेषण और वितरण नेटवर्क उन्नयन और ग्यारहवी योजना के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी को अंगीकार करके ए टी &सी हानियों को 15% तक लाने के लिए की। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओ को तीन भागो मे बांटा जाएगा पार्ट-ए में बेसलाइन डेटा और ऊर्जा लेखांकन/ लेखा परीक्षा के लिए, आईटी अनुप्रयोग, आईटी आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्रों की स्थापना शामिल है। भाग बी मे नियमित वितरण परयोजना का सशक्तिकर्ण और प्रणाली में सुधार , मजबूती और संवर्धन शामिल है ।

पीएफसी को कार्यक्रम को परिचालित करनेके लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है और पीएफसी आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत सिंगल विंडो सर्विस के रूप में कार्य करेगी । नोडल एजेंसी के रूप मे पीएफसी संचालन समिति द्वारा तय किए जाने वाले मानदंडों के अनुरूप पीएफसी शुल्क एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करेगा।